



राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविंद मार्ग, जयपुर-302004
Email-adddir.dme-rj@gov.in

F.2(26)DME/Gen/PCPNDT/2014/Part-1/5670

dated:- 1/12/2020

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर।
डीन,
झालावाड़
मेडिकल कॉलेज झालावाड़ ।

विषय:- PCPNDT 6 month course उर्तीण अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर व प्रतिहस्ताक्षरित के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का राजपत्र नई दिल्ली दिनांक 29.06.2020 एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) नई दिल्ली, की अधिसूचना दिनांक 26 जून 2020 गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्ण निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (6 मासिक प्रशिक्षण) नियमावली, 2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 जून 2020 के अनुसार PCPNDT 6 month course उर्तीण अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर के सम्बन्ध में निम्नानुसार सूचना/प्रमाण-पत्र तैयार करवाकर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें-

1. उपरोक्त नियमावली के अनुसार 6 मासिक सोनोग्राफी ट्रेनिंग में उर्तीण अभ्यर्थियों/विद्यार्थियों के ट्रेनिंग देने वाले सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज प्रमाण-पत्र तैयार करेंगे व प्रमाण पत्र पर प्रधानाचार्य सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के अलावा आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान व राज्य समूचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान हस्ताक्षर हेतु प्रमाण पत्र में प्रिंट होगा।
2. यदि प्रमाण पत्र अंग्रेजी भाषा में है तो उल्लेखित अनुसार हस्ताक्षर के लिये अंकित स्थान समूचित पद नाम के साथ प्रिंट करवाते हुये सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज तैयार करवायेंगे।
(Principal, Medical college, Commissioner, Medical Education Department, Rajasthan & State Appropriate Authority (PCPNDT) Medical Health & Family Welfare Department, Jaipur, Rajasthan)
3. यह प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज के हस्ताक्षर होने के पश्चात् किसी कर्मचारी के साथ अन्य हस्ताक्षर करवाने हेतु व्यक्तिगत हस्ताक्षर करवाने हेतु उर्तीण होने वाले विद्यार्थियों के विवरण के साथ सम्बन्धित कार्यालय में भिजवायेंगे।

[भवानी सिंह पालावत]
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान,।
- 3 निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, सचिवालय, राजस्थान।
- 6 रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 7 परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 8 रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव